

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न०:-99/2025

1 अग्रेंज सिंह भुल्लर पुत्र जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ राज०।

वादी

बनाम्

1 तहसीलदार राजस्व टिब्बी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादी

डिक्री

दिनांक...19/3/26.....

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महावीर वर्मा व प्रतिवादी राजपैरोकार अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- चक नं० 12 एफटीपी बी के खाता सं० 62/54 व इसी चक के खाता सं० 35/27 में दर्ज वादी का नाम अग्रेंज सिंह को दुरुस्त कर उसके स्थान पर सही नाम अग्रेंज सिंह भुल्लर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं यदि वादी पर किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...19/3/26... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

